

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी है त्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 7 (2)( 551) /रा.छा./सान्याअवि/15/

173८९

जयपुर,दिनांक: 15/03/2016

आदेश

राज्य सरकार की वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 58 के अन्तर्गत अलवर जिला मुख्यालय पर 50 की आवासीय संख्या का एक राजकीय महाविद्यालय स्तरीय(अनुसूचित जाति) बालिका छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लेखाशीर्ष 2225-01-196-(16)-[00] राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास हेतु लेखाशीर्ष 2225-01-196-(16)-[00], राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत एक छात्रावास अधीक्षक पे-बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2400 मे एक नवीन पद का सूजन किया जाता है।

उक्त छात्रावास में चौकीदार/रसोईदा का कार्य लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुये ऐजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस (out source of job) पर कराने की सहमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति मे ना तो व्यक्तियों की सेवाएं ऐजेन्सी से ली जावेगी और ना ही व्यक्तियों को सीधे अनुबन्धित किया जायेगा। जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्यों को विस्तृत रूप में परिभाषित किया जावेगा।

यह स्त्रीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161600272 दिनांक 8.03.2016 के अनुशरण में जारी की जाती है।

A. 153.16

(अम्बरीष कुगार)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 7 (2)( 551) /रा.छा./सान्याअवि/15/ 173९० -९९  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रवित है:-

जयपुर, दिनांक: 15/03/2016

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
- 2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
- 3 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
- 4 जिला कलेक्टर जयपुर।
- 5 वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त नवसूजित पदो का संबंधित कैडर रट्रेन्थ मे शामिल कर आने लाइन करावे तथा रिक्त पद को भरने की कार्यवाही करावें।
- 8 मुख्यकायकारी अधिकारी जिलापरिषद अलवर।
- 9 उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर।
- 10 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त नवीन छात्रावास को छात्रावासों की सूची मे सम्मिलित कराने का शम करावे।

अतिरिक्त निदेशक (अनुजाति, जनजाति कल्याण)